छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा दशम् सत्र अंक-05

रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012

(आषाढ़-27, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 (कुल 7) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री अजीत जोगी के स्थान पर श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 24 तारांकित एवं 35 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 05 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

(2) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, एवं

(3) श्री सिद्धनाथ पैकरा, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 21-16/2009/नौ/55, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रथम परिनियम,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने राजधानी रायपुर में संचालित निजी स्कूलों द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सदस्य ने सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दुलोपाली में रोजगार गांरटी योजना के तहत तालाब गहरीकरण एवं पचरी निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने के ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यानाकर्षित किया ।

श्री भईयालाल राजवाड़े, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के कार्य पूर्ण होने तक सदन के निरंतर चलने संबंधी समयवृद्धि की घोषणा की।)

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267- क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री खेदूराम साहू
(3) श्री अग्नि चंद्राकर
(4) श्री मोहम्मद अकबर
(5) श्री शिवराज सिंह उसारे
(6) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर
(7) श्रीमती अंबिका मरकाम
(8) डॉ.हरिदास भारद्वाज
(9) डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम
(10) डॉ.शक्राजीत नायक

8. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

(1) श्री डमरुधर पुजारी, सदस्य ने याचिका समिति का अष्टम् प्रतिवेदन, एवं
(2) श्री फूलचंद सिंह, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं:-

(1) श्री परेश बागबाहरा

(2) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर

(3) श्री फूलचंद सिंह

(4) श्री बैदूराम कश्यप

(5) श्री ह्दयराम राठिया

10. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर विचार का प्रस्ताव

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को यथापारित छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) में राज्यपाल महोदय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति ने निर्देश के अनुसरण में दिनांक 13 जुलाई, 2012 के संदेश में की गई निम्नलिखित संशोधन की सिफारिश पर विचार किया जाय :-

"विधेयक में शामिल कंपनी अथवा कंपनियों से संबंधित संदर्भों को हटाया जाए, क्योंकि चूक करने वाली कंपनियों के विरूद्ध दण्ड के लिये यथा प्रावधान कंपनी अधिनियम 1956 (केंद्रीय अधिनियम, 1956 का 1) में पहले से ही विद्यमान है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 को यथापारित छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2005 (क्रमांक 28 सन् 2005) को यथापारित स्वरूप में पुनः पारित किया जाय एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक यथा पारित स्वरूप में पुनः पारित हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन)विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 65 (1) को शिथिल कर आज ही पुरःस्थापन, विचार एवं पारण करने की अनुमति प्रदान की।

(1) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012)

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने शासन की ओर से प्राप्त छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित किया।

(2) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012)

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री अग्नि चंद्राकर।

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री ननकीराम कंवर, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 12 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012)

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ.हरिदास भारद्वाज, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

श्री हेमचंद यादव, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 13 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 1.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनाँक 19 जुलाई, 2012 (आषाढ़, 28 शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा